12.3.24

पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 02.4.24 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

02.4.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क पत्रावली पर लिये गये। आज की तारीख पर ही उभय-पक्षों की बहस सुनकर आदेश हेतु पेश करने के आदेश दिये थे। पत्रावली में उपलब्ध लिखित तर्कों का अध्ययन किया। अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा की बहस सुनी। आदेश आज दिनांक 02.4.24 को पृथक से सुनाया जाना नियत किया जाता है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा